

26/5  
26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.)  
 प्रकरण में वर्णित अपार्थी सं. 1/2 के अधिका  
 द्वारा त.।. प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं  
 करने तथा शेष अपार्थीगण के विरुद्ध  
 एक पक्षीय कार्यवाही की जाने से प्रकरण  
 में त.।. प्रा. पत्र पर बटस सुनी गई।  
 उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष  
 वकुलाय की बटस पर मनन के पश्चात  
 वादग्रस्त भूमि गांव चामुण्डी मेडतियान के  
 ख. नं. 170, 175 कुल खसरा 02 कुल  
 रकबा 0.8600 हेक्टेयर के मौजे की यथा  
 स्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखने बाबत  
 अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।  
 पत्रावली प्रैसल शुमार लेकर नंबर से कम  
 ले।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली